



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258051
CG-DL-E-18102024-258051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 4205]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2024

आय-कर

का.आ. 4571(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 10गक के उपनियम (7) के परंतुक के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 92ग की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 92ग के अधीन अवधारित असन्निकट कीमत और वह कीमत, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, के बीच अंतर (i) थोक व्यापार की बाबत बाद वाली कीमत के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और (ii) सभी अन्य मामलों में बाद वाली कीमत के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां वह कीमत, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए असन्निकट कीमत समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “थोक व्यापार” से ऐसे माल के व्यापार का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

- क. तैयार माल की क्रय लागत, ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित कुल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक है ; और
- ख. ऐसे माल की औसत मासिक अंतिम सूची ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित विक्रयों का दस प्रतिशत या उससे कम है।

[अधिसूचना सं. 116/2024/ एफ.सं. 500/1/2014-एपीए-II]

कार्तिक चेबोली, आयकर उप आयुक्त (ओएसडी) (एपीए-I)

एफटी एंड टीआर-I, सीबीडीटी

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए थोक व्यापार के लिए एक प्रतिशत और अन्य सभी मामलों में तीन प्रतिशत की सहाय रेंज का उपबंध करती है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।